न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6, आजमगढ़।

राज्य बनाम **महेन्द्र यादव आदि।**
सत्र परीक्षण संख्या–499/2024
मु०अ०सं०–45/2024
धारा–302, 120 बी, 34 भा.दं.सं. व 3/25 **आयुध अधिनियम**
थाना–बरदह, जनपद– **आजमगढ़।**

आरोप

मैं **संतोष कुमार यादव** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6, आजमगढ़ आप अभियुक्तगण **1. महेन्द्र यादव, 2. राजेन्द्र यादव, 3. फुर्तीलाल यादव, 4. सुरेश यादव, 5. रामगनी यादव, 6. छोटेलाल यादव, 7. हरेन्द्र यादव, 8. शर्मिला यादव, 9. दीपचन्द्र निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही, 10. संजय यादव , 11. विरेन्द्र यादव** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं–

1– यह कि दिनांक 08.02.2024 को समय शाम चार बजे, बहद स्थान ग्राम सोनहरा, थाना– बरदह, जनपद– आजमगढ़ की सीमान्तर्गत आप अभियुक्तगण के आपराधिक षड़यन्त्र के अनुसरण में एक राय होकर वादी मुकदमा चन्देलाल के चचेरे भाई रणविजय यादव की हत्या कारित किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–302/120 बी/34 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त विरेन्द्र यादव के पास से एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई वैध अधिकार पत्र नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–3/25 आर्म्स ऐक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा मैं आप अभियुक्तगण को आदेशित करता हूं कि उक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 20.12.2024

(संतोष कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, आजमगढ़।

आरोप उपरोक्त अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की।

दिनांक 20.12.2024

(संतोष कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, आजमगढ़।

Digitally signed by Santosh Kumar Yadav
Date: 2024.12.20 14:15:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6, आजमगढ़।

राज्य बनाम **महेन्द्र यादव आदि।**
सत्र परीक्षण संख्या–499/2024
मु०अ०सं०–45/2024
धारा–302, 120 बी, 34 भा.दं.सं. व 3/25 **आयुध अधिनियम**
थाना–बरदह, जनपद– **आजमगढ़।**

दिनांक–20.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **1. महेन्द्र यादव, 2. राजेन्द्र यादव, 3. फुर्तीलाल यादव, 4. सुरेश यादव, 5. रामगनी यादव, 6. छोटेलाल यादव, 7. हरेन्द्र यादव, 8. शर्मिला यादव** व्यक्तिगत रूप से एवं अभियुक्तगण **9. दीपचन्द्र निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही, 10. संजय यादव, 11. विरेन्द्र यादव** जेल से मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्त की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किये जाने का निवेदन किया गया। न्यायाहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण **1. महेन्द्र यादव, 2. राजेन्द्र यादव, 3. फुर्तीलाल यादव, 4. सुरेश यादव, 5. रामगनी यादव, 6. छोटेलाल यादव, 7. हरेन्द्र यादव, 8. शर्मिला यादव, 9. दीपचन्द्र निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही , 10. संजय यादव** के विरूद्ध **302, 120 बी, 34 भा.दं.सं.** एवं अभियुक्त **11. विरेन्द्र यादव** के विरूद्ध **302, 120 बी, 34 भा.दं.सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट** का आरोप प्रथम दृष्टया बनता है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धारा के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया और पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहता है या विचारण चाहता है। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक **23.12.2024** को पेश हो। साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

दिनांक 20.12.2024

(संतोष कुमार यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, आजमगढ़।